

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 400]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 सितम्बर 2015—आश्विन 7, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2015

क्र. एफ-ए-3-54-2015-1-पांच-(32).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) (जो इसमें इसके पश्चात अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

सारणी

स्वामियों का वर्ग (1)	छूट की सीमा (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन छूट प्रदान की गई है (3)
अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामी.	इस प्रकार कि, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) के अधीन कर की दर घटकर शून्य प्रतिशत हो जाए।	यह छूट केवल इन्दौर में 14 अक्टूबर, 2015 को भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच होलकर स्टेडियम, इन्दौर में आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के संबंध में उपलब्ध होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2015

क्र. एफ-ए-3-54-2015-1-पांच-(32).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-54-2015-1-पांच-(32), दिनांक 29 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

Bhopal, the 29th September 2015

No. F-A-3-54-2015-1-V-(32).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of Madhya Pradesh Vilasita Manoranjan, Amod E�am Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011) (hereinafter referred to as the Act), the State Government, hereby, exempts the class of proprietors specified in column (1) of the table below from payment of tax under the Act to the extent Specified in Column (2) and subject, to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table:—

TABLE

Class of proprietors (1)	Extent of Exemption (2)	Restrictions and Conditions subject to which exemption is granted (3)
Proprietor registered under the Act.	Wholly so as to reduce the rate of Tax to zero percent under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of Section 6 of the Act.	The exemption shall only be available in respect of the One day International Cricket Match between India & South Africa being organised on 14th October, 2015 at Holkar Stadium, Indore.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.